2011:CGHC:6775

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 962/2010

याचिकाकर्ता : श्री राम मूर्ति गोय

विरुद्घ

उत्तरवादीगण : भारत संघ व अन्य

निर्णय उद्घोषित करने हेतु दिनाँक 28/04/2011 को सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

एन.के. अग्रवाल

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 962/2010

याचिकाकर्ता : श्री राम मूर्ति गोयल

विरुद्घ

उत्तरवादीगण : भारत संघ व अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका)

(एकलपीठः माननीय श्री एन.के. अग्रवाल,न्यायाधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर सेः श्री संजय के. अग्रवाल सहित श्री सौरभ शर्मा अधिवक्तागण

भारत संघ की ओर सेः श्रीमती फौजिया मिर्जा सहायक साँलिसिटर जनरल

निर्णय

उद्घोषित करने का दिनाँक 28/04/2011

1. यह वर्तमान याचिका, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन प्रस्तुत की गई है में निष्पादन प्रकरण संख्या 5-ए/1999 में जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दिनांक 01.02.2010 को पारित किए गए आदेश (अनुलग्नक पी/1) की वैधता

और औचित्यता को प्रश्नगत किया गया है, जिसमें निष्पादन न्यायालय ने निर्णीत ऋणी/याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया और उसे सिविल कारागार भेजने के प्रयोजनार्थ उसकी उपस्थिति के लिए प्रकरण को नियत किया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षिप्त में संहिता) के आदेश 21 नियम 37, 38 व 39 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था ताकि निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार भेजकर डिक्रीत राशि की वसूली की जा सके। याचिकाकर्ता ने, स्वयं के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा समय दिए जाने के बावजूद, डिक्रीत राशि का एक हिस्सा अर्थात् 50,000/- रुपये जमा नहीं किया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.06 और 25.01.07 के अनुपालन में न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। दिनांक 08.10.2009 को, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सूचित किया कि याचिकाकर्ता अब हरियाणा राज्य में रह रहा है, प्रकरण में रुचि नहीं ले रहा है और उनसे संपर्क में भी नहीं है। इन परिस्थितियों में, निष्पादन न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई की और आक्षेपित आदेश पारित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री संजय के. अग्रवाल, ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी कि यह संहिता के धारा 51 के परंतुक, आदेश 21 नियम 37, 38 व 39 तथा आदेश 21 नियम 11-ए में निहित प्रावधानों का

सख्ती से अनुपालन करते हुए पारित नहीं किया गया है। यह आगे तर्क किया गया कि आदेश 21 नियम 40 के अधीन कोई जाँच किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, और इसलिए, आक्षेपित आदेश खारिज किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने जॉली जॉर्ज वर्गीस व एक अन्य विरुद्ध द बैंक ऑफ कोचिंग, पुंडलिक पिता महादू नाज़ीरे विरुद्ध महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशन, सुभाष चंद्र जैन विरुद्ध सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, के. विजयकुमार विरुद्ध एन. गुरुराजा राव, और जोसेफ के. मथाई विरुद्ध लकोज़ कुरियन के मामलों का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, भारत संघ/उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल, श्रीमती फ़ौज़िया मिर्ज़ा, ने पूरजोर तर्क किया कि आक्षेपित आदेश निष्पादन न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, संहिता के सुसंगत प्रावधानों के समुचित अनुपालन में पारित किया गया है और इसे यथावत रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क किया कि आक्षेपित आदेश द्वारा, निष्पादन न्यायालय ने केवल गिरफ्तारी के माध्यम से निर्णीत ऋणी को उपस्थित करने का आदेश दिया है, जिसके बाद उसे सिविल कारागार भेजने से पहले आदेश 21 नियम 40 के अधीन जाँच करने की अनिवार्य प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है; यह चरण अभी तक नहीं आया है। यह भी तर्क किया गया कि आदेश पत्रकों (अनुलग्नक पी/8) के परिशीलन से यह

स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता न केवल डिक्रीत राशि का संदाय करने से बच रहा है बल्कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति से भी बच रहा है।

5. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना और आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया।

6. संहिता की धारा 51 के परंतुक के अधीन, न्यायालय द्वारा निर्णीत ऋणी को कारागार में निरुद्ध करने का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे यह कारण दर्शाने का अवसर न दिया गया हो कि उसे कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए, और न्यायालय लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर संतुष्ट न हो जाए कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) किसी विशेष रूप से आज्ञप्ति की गई संपत्ति के परिदान से; (ख) किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय से, या कुर्की के बिना विक्रय से; (ग) गिरफ्तारी और कारागार में निरोध से, जिसकी अवधि धारा 58 में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो, जहां उस धारा के अधीन गिरफ्तारी और निरोध अनुज्ञेय है।

7. संहिता के आदेश 21 नियम 37 के अधीन, जहां कोई आवेदन किसी निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध द्वारा धन के संदाय की आज्ञप्ति के निष्पादन के लिए है, जो आवेदन के अनुसरण में गिरफ्तार किए जाने योग्य है, तो न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के बजाय, उसे

सूचना में विनिर्दिष्ट दिन पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शाने के लिए बुलाते हुए एक सूचना जारी करेगा कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए। उपर्युक्त प्रावधान के परंतुक के अनुसार, ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी यदि न्यायालय शपथ पत्र द्वारा, या अन्यथा, संतुष्ट हो जाता है कि आज्ञप्ति के निष्पादन में विलम्ब करने के प्रयोजनार्थ या उसके प्रभाव से, निर्णीत ऋणी के फरार होने या न्यायालय के अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़कर जाने की संभावना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. संहिता के आदेश 21 नियम 38 के अधीन, निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक वारंट उस अधिकारी को, जिसे उसके निष्पादन का जिम्मा सौंपा गया है, यह निर्देश देगा कि वह उसे जितनी शीघ्रता के साथ संभव हो उतनी शीघ्र न्यायालय के समक्ष लाए, बशर्ते कि वह राशि जिसका संदाय करने के लिए उसे आदेश दिया गया है, उस पर ब्याज और वह व्यय (यदि कोई हो) जिसके लिए वह दायी है, पहले ही संदत्त न कर दिया गया हो।

9. संहिता के आदेश 21 नियम 40 के अधीन, जब कोई निर्णीत ऋणी नियम 37 के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, या धन के संदाय की आज्ञप्ति के निष्पादन में गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तब न्यायालय आज्ञप्ति-धारक को सुनेगा और निष्पादन के अपने आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्य

लेगा, और उसके बाद निर्णीत ऋणी को यह कारण दर्शाने का अवसर देगा कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

10. संहिता के आदेश 21 नियम 40 (2) के अधीन, उप-नियम (1) के अधीन जाँच समाप्त होने तक, न्यायालय स्वविवेक से निर्णीत ऋणी को न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में निरुद्ध रखने का आदेश दे सकता है या जब भी आवश्यकता हो, उसकी उपस्थिति के लिए न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर उसे निर्मुक्त कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जॉली जॉर्ज वर्गीस व एक अन्य विरुद्घ द बैंक ऑफ कोचीन**[1] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब निर्णीत ऋणी के पास एक बार ऋण चुकाने के साधन थे, लेकिन आज्ञप्ति की तारीख के बाद तत्पश्चात उसके पास ऐसे साधन नहीं रहे, या उसके पास धन है जिस पर अन्य आवश्यक दावे हैं, और कोई बेईमानी या दुर्भावना हस्तक्षेप नहीं करती है, तो निर्णीत ऋणी को जबरन तरीके से अपनी डिक्रीत बाध्यता को पूरा न करने के लिए जेल में बंद नहीं किया जा सकता, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। धारा 51 का परंतुक न केवल संदाय न करने की मात्र चूक को, बल्कि माँग पर संदाय से इनकार करने, आज्ञप्ति के अधीन बाध्यता को बेईमानी से अस्वीकार करने की प्रवृत्ति को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

1 1980(2) SCC 360

12. बॉम्बे उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने **पुंडलिक पिता महादू नाज़ीरे विरुद्घ महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशन**[2] के प्रकरण में, उपर्युक्त संदर्भित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया है: धारा 51 का परंतुक, जहां तक वह यहाँ सुसंगत है, यह निर्धारित करता है कि जहाँ आज्ञप्ति धन के संदाय के लिए है, वहाँ कारागार में निरोध द्वारा निष्पादन का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक न्यायालय को इस बात का समाधान न हो जाए कि निर्णीत ऋणी के पास आज्ञप्ति की राशि या उसके कुछ सारवान भाग का संदाय करने के साधन हैं या आज्ञप्ति की तारीख के बाद से उसके पास ऐसे साधन रहे हैं, और वह संदाय करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है या उसने संदाय करने से इनकार किया है या उपेक्षा की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने **सुभाष चंद्र जैन विरुद्घ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**[3] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 21 नियम 40 (1) के अधीन परिकल्पित जाँच किए बिना या धारा 51 के परंतुक में निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना कारागार में निरोध का आदेश विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है।

14. केरल उच्च न्यायालय ने **जोसेफ के. मथाई विरुद्घ लकोज़ कुरियन**[4] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है: चूंकि संहिता का आदेश 21 नियम 40 एक जाँच का

2 AIR 1992 Bombay 48
3 AIR 1999 MP 195
4 AIR 1979 Kerala 235

निर्देश देता है, इसलिए न्यायालय द्वारा आदेश 21 नियम 37 के अधीन वारंट जारी करने से पहले प्रस्तुत किए गए आज्ञप्ति-धारक के शपथ पत्र पर कार्यवाही करना अनियमित था। भले ही यह मान लिया जाए कि न्यायालय उचित मामलों में आज्ञप्ति-धारक के शपथ पत्र पर कार्य कर सकता है जहाँ निर्णीत ऋणी विवाद नहीं करता है और जब न्यायालय को प्रकरण का निर्णय करने के लिए आवश्यक सभी सुसंगत तथ्य शपथ पत्र में शामिल हों, लेकिन उन मामलों में जहाँ निर्णीत ऋणी विवाद करता है, यह अनिवार्य है कि न्यायालय उसे संहिता के आदेश 21 नियम 40 में निर्देशित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने **मेसर्स मारुति लिमिटेड, चंडीगढ़ व एक अन्य विरुद्घ मेसर्स पैन इंडिया प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड**[5] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है: यदि निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी और कारागार में निरोध के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके साथ गिरफ्तारी के लिए आवेदन किए जाने के आधार बताते हुए एक शपथ पत्र संलग्न होना चाहिए। मात्र ऐसा करने पर ही गिरफ्तारी का आदेश पारित किया जाना अपेक्षित नहीं है। संहिता की धारा 51 के अधीन प्रावधान के अनुसार, धन के संदाय की आज्ञप्ति के प्रकरण में, कारागार में निरोध द्वारा निष्पादन का आदेश तब तक नहीं दिया जाना है जब तक कि निर्णीत ऋणी को यह कारण दर्शाने का अवसर न दिया जाए कि उसे कारागार

5 AIR 1993 Punjab & Harayana 215

के सुपुर्द क्यों न किया जाए, और न्यायालय को उसमें उल्लिखित आधारों का अपने समाधान के लिए लिखित में कारण दर्ज करना आवश्यक है। ऐसे आधारों में से किसी एक को, जिस का अवलंब लिया गया है, स्थापित करने में असफल होने पर, निर्णीत ऋणी को कारागार में निरुद्ध करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

16. मद्रास उच्च न्यायालय ने **के. मनोकरन विरुद्घ ए.यू. सुब्बानन**[6] के प्रकरण में अपने निर्णय के कण्डिका 15 में यह अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 15. "इसी प्रकार की स्थिति में, इस न्यायालय ने 200 (**IV**) सी.टी.सी. 481 (चीनराज विरुद्ध कंथसामी) में प्रकाशित एक प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया:–
>
> 'व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश 21, नियम 40 निर्णीत ऋणी के या तो सूचना के अनुपालन में न्यायालय में उपस्थित होने पर, या धन के संदाय के लिए आज्ञप्ति के निष्पादन में गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह प्रावधान कहता है कि जब निर्णीत ऋणी इस प्रकार उपस्थित होता है या न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो

6 AIR 2002 Madras 340

न्यायालय आज्ञप्ति-धारक को सुनेगा और निष्पादन के लिए अपने आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्य लेगा और फिर निर्णीत ऋणी को यह कारण दर्शाने का अवसर देगा कि उसे सिविल कारागार में क्यों न सुपुर्द किया जाए, जो कि धारा 51 के परंतुक के अनुरूप है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार के सुपुर्द किए जाने से पहले कारण दर्शाने का अवसर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करे या निष्पादन न्यायालय को विवश करे कि वह निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश पारित करने से पहले भी उसे या आज्ञप्ति-धारक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे, ताकि पूर्ण जाँच हो सके और अपने कारणों को लिखित में दर्ज करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, आवेदन व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 10 और 11 के अधीन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नियम 37 के अधीन सूचना और फिर नियम 38 के अधीन वारंट जारी करने का

अनुरोध किया गया है। उस प्रार्थना के संबंध में, निष्पादन न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के बाद नियम 38 के अधीन वारंट जारी करने का आक्षेपित आदेश पारित किया है। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 40 के अधीन पारित आदेश नहीं माना जा सकता है। यदि यह आदेश संहिता के आदेश 21, नियम 40 के अधीन पारित आदेश के रूप में स्थापित होता, तो यह निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण होता, क्योंकि निर्णीत ऋणी को निरुद्ध करने का आदेश केवल उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद जाँच करने के बाद ही दिया जाना चाहिए, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि क्या निर्णीत ऋणी आज्ञप्ति के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध किए जाने योग्य था। लेकिन, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वर्तमान प्रकरण में, निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित गिरफ्तारी का आदेश आदेश 21, नियम 40 के अधीन दिया गया था, क्योंकि यह आदेश केवल नियम 38 के अधीन पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

उपरोक्त विमर्श के आलोक में, यह माना जाएगा कि निष्पादन न्यायालय द्वारा नियम 40 में उपबंधित जाँच किए बिना और निर्णीत ऋणी के साधनों के संबंध में निष्कर्ष दिए बिना पारित किया गया गिरफ्तारी का आदेश अधिकारिता के बाहर का आदेश नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी का आदेश केवल व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 38 के अधीन है। इसलिए, मैं आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

जो भी हो। चूँकि मेरा यह अभिमत है कि आक्षेपित आदेश नियम 38 के अधीन पारित किया गया है, इसलिए संदाय करने के साधनों और न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अन्य अवसर का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब याचिकाकर्तागण को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाए जाने के बाद, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 40 के अधीन अंतिम आदेश पारित किया

जाएगा। इसलिए, डिक्रीत राशि की वसूली के लिए न्यायालय को आगे की कार्रवाई करने में सक्षम बनाने हेतु याचिकाकर्तागण को गिरफ्तार किया जाना और न्यायालय के समक्ष लाया जाना आवश्यक है।"

17. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने **भगत सिंह विरुद्घ गुरमुख सिंह**[7] के प्रकरण में अपने निर्णय के कण्डिका 5 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"5. उपरोक्त मत में, मैं मुधोलकर, जे. (जैसा कि वह तब थे) के मधुसूदन प्रभाकर विरुद्ध त्र्यम्बक व्यंकटेश, एआईआर 1961 बॉम्बे 23 में व्यक्त किए गए विचारों से पुष्टि पाता हूँ। उसमें यह अवधारित किया गया था कि आदेश 21, नियम 37(1) के अधीन न्यायालय के पास उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की शक्ति है जिसके विरुद्ध निष्पादन चाहा गया है। ऐसे वारंट के बदले में न्यायालय के पास ऐसी सूचना जारी करने का निर्देश देने की शक्ति है। लेकिन ऐसी सूचना के जवाब में भी निर्णीत ऋणी को न्यायालय में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7 AIR 1987 Punjab & Harayana 80

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए और अधिवक्ता के माध्यम से उसकी उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। जहाँ निर्णीत ऋणी सूचना में मूल रूप से उल्लिखित तारीख पर उपस्थित होता है और वास्तव में उसी दिन अपना लिखित बयान दाखिल करता है, लेकिन न्यायालय द्वारा उस प्रकरण को उस दिन न लेकर बाद की किसी तारीख पर लिया जाता है, तो उस तारीख को भी उपस्थित रहना उसके लिए बंधनकारी है। जहाँ न्यायालय नियम 37 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन वारंट जारी करता है, तो वह उस व्यक्ति को कारागार के सुपुर्द करने के इरादे से ऐसा नहीं करता है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। यह केवल न्यायालय में ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऐसा वारंट जारी करता है। इसलिए, ऐसे प्रकरण में धारा 51 या आदेश 21, नियम 40 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह आगे अवधारित किया गया है कि बाद के नियम के प्रावधान केवल बाद के चरण पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लागू होंगे, अर्थात, निर्णीत ऋणी सूचना या वारंट के अनुपालन में न्यायालय में उपस्थित होने के बाद।

मैं उपरोक्त विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ।"

18. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने **के. विजयकुमार विरुद्घ एन. गुरुराजा राव**[8] के प्रकरण में शास्त्री विरुद्ध बैंक ऑफ इंडिया, 1978 (2) एपीएलजे 217 के प्रकरण में युगलपीठ के निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें आदेश 21 नियम 37 को विस्तारपूर्वक निम्नानुसार विचार किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"16. इसलिए, उपरोक्त विधिक प्रावधानों से जो स्पष्ट होता है, वह यह है:–

1. संहिता की धारा 51 के अधीन न्यायालय को आज्ञप्ति-धारक के आवेदन पर, निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी और कारागार में निरोध द्वारा धन के संदाय के लिए आज्ञप्ति के निष्पादन का आदेश देने की शक्ति प्राप्त है।

2. उस शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्त यह है कि न्यायालय को निर्णीत ऋणी को यह कारण दर्शाने का अवसर प्रदान करके कार्यवाही शुरू करनी चाहिए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

8 AIR 2004 AP 435

3. न्यायालय को लिखित में कारण दर्ज करके इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि निर्णीत ऋणी के पास आज्ञप्ति की राशि या उसके कुछ सारवान भाग का संदाय करने के साधन हैं या आज्ञप्ति की तारीख के बाद से उसके पास ऐसे साधन रहे हैं, और निर्णीत ऋणी ने उसी का संदाय करने से इनकार कर दिया है या उपेक्षा की है।

4. न्यायालय, निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के बजाय, उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शाने के लिए बुलाते हुए सूचना जारी करेगा कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. जहाँ सूचना के अनुपालन में ऐसी उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है और यदि आज्ञप्ति-धारक ऐसा चाहता है, तो न्यायालय के लिए निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करना बंधनकारी हो जाता है।"

19. अब, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, याचिकाकर्ता ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई साधन न हो। उसके स्वयं के शपथ पत्र के अनुसार, उसके पास

हरियाणा राज्य में संपत्ति है। याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी द्वारा आदेश 21 नियम 37, 38 व 39 के अधीन प्रस्तुत आवेदन का उत्तर देने के लिए कई स्थगन प्रदान किए थे। याचिकाकर्ता ने स्वयं ही डिक्रीत राशि के संदाय के लिए समय मांगा था। निष्पादन न्यायालय ने उसे 50,000/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया था, जिसके लिए भी कई अवसर दिए गए। दिनांक 08.10.2009 को, उसके अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता का बचाव करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और याचिकाकर्ता को इसकी सूचना देने के लिए समय मांगा। निष्पादन न्यायालय के विशिष्ट निर्देश के बावजूद, याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ और इसलिए, निष्पादन न्यायालय के लिए निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करना बंधनकारी हो गया। भारत संघ/उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल, श्रीमती फ़ौज़िया मिर्ज़ा, अपने तर्क में सही हैं कि निष्पादन न्यायालय ने केवल गिरफ्तारी के माध्यम से निर्णीत ऋणी को उपस्थित करने का आदेश दिया है, जिसके बाद उसे सिविल कारागार भेजने से पहले जाँच करने के प्रयोजनार्थ संहिता के आदेश 21 नियम 40 के अधीन अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना है, और यह चरण अभी तक नहीं आया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. चूँकि निर्णय और आज्ञप्ति वर्ष 1995 में पारित की गई थी, और इसका निष्पादन अभी भी लंबित है, निर्णीत ऋणी हरियाणा राज्य में निवास करने लगा,

और न्यायालय के आदेश की पूर्ण उपेक्षा करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए, इस न्यायालय के सुविचारित अभिमत में, आक्षेपित आदेश उपरोक्त संदर्भित मामलों में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित विधि और प्रावधानों के सारवान अनुपालन में पारित किया गया है। जहाँ तक याचिकाकर्ता को सिविल कारागार के सुपुर्द करने के प्रयोजनार्थ संहिता के आदेश 21 नियम 40 के अधीन जाँच का संबंध है, यह केवल गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से निर्णीत ऋणी के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाद ही संचालित की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपर्युक्त कारणों से, याचिकाकर्ता निष्पादन न्यायालय द्वारा की गई किसी भी अवैधता या अनियमितता को प्रदर्शित करने में पूर्णतया असफल रहा है, जिसके कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इस न्यायालय के असाधारण अधिकारिता का सहारा लिया जा सके।

22. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपने पर्यवेक्षी अधिकारिता के प्रयोग में, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से परहेज़ करना चाहिए, सिवाय

ऐसे प्रकरणों के जहाँ विकृति, अवैधता, अनियमितता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि अभिलेख पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो, जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं है।

23. फलस्वरूप, याचिका असफल होती है एवं तदनुसार खारिज की जाती है।

वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/-

एन.के. अग्रवाल

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri